



2026:AHC:35088

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **2531**, वर्ष **2026**

फौजदार पटेल एवं अन्य

.....याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रतिवादीगण

याची हेतु अधिवक्ता

: धनंजय कुमार मिश्रा

प्रतिवादी हेतु अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचीगण ने अन्य बातों के साथ मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रार्थनाओं के साथ वर्तमान रिट याचिका प्रस्तुत की है:-

"(i) एक रिट, आदेश या निर्देश उत्प्रेषण की प्रकृति में जारी किया जाए जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 209 (h) के तहत वाद संख्या RST/7656/2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या T202514700307656) (सरोज देवी बनाम हरिशंकर) में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 21.05.2025, तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के तहत पुनरीक्षण संख्या 3153, वर्ष 2025 (कंप्यूटरीकृत वाद संख्या C2025 14000003153) (फौजदार पटेल एवं अन्य बनाम सरोज देवी एवं अन्य) में प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.11.2025 (रिट याचिका के संलग्नक संख्या 5 व 7) को निरस्त किया जाए।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(ii) एक रिट, आदेश या निर्देश परमादेश की प्रकृति में जारी किया जाए जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी प्राधिकारी को राजस्व अभिलेखों में याचीगण का नाम नामांतरित करने हेतु निर्देशित किया जाए।”

2. यद्यपि याचीगण के अधिवक्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका के समर्थन में विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, किंतु अंततः यह प्रार्थना की गई कि प्रत्यर्थी संख्या 3, अर्थात् नायब तहसीलदार, कसवार राजा, तहसील राजा तालाब, जनपद वाराणसी को उनके समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 4 एवं 5 द्वारा दायर लंबित संपूर्ण कार्यवाही को शीघ्रता से निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया जाए।

3. पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना गया।

4. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से और उन आदेशों में हस्तक्षेप किए बिना जो वर्तमान रिट याचिका में विचाराधीन हैं, प्रत्यर्थी संख्या 3 अर्थात् नायब तहसीलदार, कसवार राजा, तहसील राजा तालाब, जनपद वाराणसी को निर्देशित किया जाता है कि वे निजी-प्रतिवादीगण प्रतिवादी संख्या 4 एवं 5 द्वारा दायर कार्यवाही का निस्तारण विधि के अनुसार कड़ाई से, शीघ्रता से और पक्षकारों को कोई अनावश्यक स्थगन दिए बिना करें, यदि कोई कानूनी बाधा न हो।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

17 फरवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”